

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

- 1.समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2.समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक-एन०एच०एम०,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या:एस०पी०एम०यू/एम०आई०एस०/फार्मस रजि०/2014-15/51-आर/रजि०/4226-2 दिनांक: 22-12-2014

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० फ़ैसिलिटी बेस्ड कार्यक्रम हेतु निर्धारित आर०सी०एच० रजिस्टर की प्रिंटिंग हेतु आबंटित धनराशि के व्यय हेतु मानकों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी०आई०पी० वर्ष 2014-15 में मिशन फ़ैसिलिटी बेस्ड कार्यक्रम के उपमद एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:-

“ For Printing of integrated RCH Register Version 1.1 @ Rs 250.00 per register. One register per 1,000 population and applicable for 2 years. Register must be compatible with the Integrated RCH register (villegewise) designed by MoHFW and shared with state. Printing should be done based on competitive bidding and by following govt protocols as per FMR code B.15.3.2.1 for financial year 2014-15 “

उपकेन्द्र, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में एम०सी०टी०एस० फ़ैसिलिटी बेस्ड शत प्रतिशत रिपोर्टिंग हेतु इन्टीग्रेटेड आर०सी०एच० रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु रु० 250.00 प्रति रजिस्टर (प्रति 1000 की जनसंख्या हेतु दो वर्ष के लिए) प्रति राजस्व गांव की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। मानक के अनुसार एम०सी०टी०एस० कार्यक्रम के अन्तर्गत इस बजट का उपयोग स्वास्थ्य इकाइयों को रिपोर्टिंग हेतु आर०सी०एच० रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार व्यय किया जाना है।

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार है:-

No.	District	No. of revenue villages 96,112	@Rs.250.00 per register per revenue villages per 1000 population for 2 years for the financial year 2014-15
1	2	03	04=Col 03 x Rs 250.00
1	Agra	909	227250
2	Firozabad	806	201500
3	Mainpuri	821	205250
4	Mathura	880	220000
5	Aligarh	1210	302500
6	Etah	875	218750
7	Hathras	670	167500
8	Kashganj	718	179500
9	Allahabad	3064	766000

10	Fatehpur	1352	338000
11	Kaushambi	749	187250
12	Pratapgarh	1105	276250
13	Azamgarh	3800	950000
14	Ballia	2298	574500
15	Mau	1497	374250
16	Bareilly	1892	473000
17	Budaun	885	221250
18	Pilibhit	1334	333500
19	Shahjahanpur	2080	520000
20	Basti	3305	826250
21	Sant K Nagar	1576	394000
22	Siddharth N	2334	583500
23	Banda	625	156250
24	Chitrakoot	574	143500
25	Hamirpur	512	128000
26	Mahoba	210	52500
27	Bahraich	1370	342500
28	Balrampur	1005	251250
29	Gonda	1818	454500
30	Shrawasti	536	134000
31	Ambedkar N	1726	431500
32	Amethi*	999	249750
33	Barabanki	1002	250500
34	Faizabad	1213	303250
35	Sultanpur	1707	426750
36	Deoria	2055	513750
37	Gorakhpur	1233	308250
38	Kushinagar	1569	392250
39	Maharajganj	1184	296000
40	Jalaun	600	150000
41	Jhansi	818	204500
42	Lalitpur	754	188500
43	Farrukhabad	979	244750
44	Auraiya	841	210250
45	Etawah	692	173000
46	Kannauj	752	188000
47	Kanpur Dehat	1032	258000
48	Kanpur Nagar	1009	252250
49	Hardoi	1901	475250
50	Lakhimpur K	1793	448250
51	Lucknow	808	202000
52	Rae Bareli*	1533	383250
53	Sitapur	2321	580250
54	Unnav	1974	493500
55	Bagpat	315	78750
56	Bulandshahar	1236	309000

57	G B Nagar	385	96250
58	Ghaziabad	196	49000
59	Hapur	351	87750
60	Meerut	465	116250
61	Mirzapur	1748	437000
62	Sonbhadra	1372	343000
63	SRavidas N	1079	269750
64	Bijnor	2144	536000
65	JP Nagar	1124	281000
66	Moradabad	1164	291000
67	Rampur	1089	272250
68	Sambhal	1136	284000
69	Muzaffarnagar	713	178250
70	Saharanpur	1211	302750
71	Shamli	309	77250
72	Chandauli	1491	372750
73	Ghazipur	2665	666250
74	Jaunpur	3290	822500
75	Varanasi	1324	331000
Total		96112	24028000

*पत्रांक: एम.डी.-कैम्प/2014-15/1647 दिनांक: 04.12.2014 के क्रम में जनपद अमेठी के 03 विकास क्षेत्र-सलोन, छतोह एवं डीह को जनपद रायबरेली में सम्मिलित करते हुए धनराशि निर्गत की जा रही है।

उपरोक्तानुसार उपकेन्द्र, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में एम0सी0टी0एस0 फैसिलिटी बेस्ड शत प्रतिशत रिपोर्टिंग हेतु इन्टीग्रेटेड आरसीएच रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु धनराशि आवंटित किया जा रहा है।

कृपया उक्त मानकों के अनुसार एम0सी0टी0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/फार्मस रजि०/2014-15/51-आर/रजि०/

तददिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश।
10. महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

- 1.समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2.समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक-एन०एच०एम०,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या:एस०पी०एम०यू/एम०आई०एस०/फार्मस रजि०/2014-15/51-आर/रजि०/4226-2 दिनांक: 22-12-2014

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० फ़ैसिलिटी बेस्ड कार्यक्रम हेतु निर्धारित आर०सी०एच० रजिस्टर की प्रिंटिंग हेतु आबंटित धनराशि के व्यय हेतु मानकों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी०आई०पी० वर्ष 2014-15 में मिशन प्लैक्सिपूल मद के उपमद एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:-

“ For Printing of integrated RCH Register Version 1.1 @ Rs 250.00 per register. One register per 1,000 population and applicable for 2 years. Register must be compatible with the Integrated RCH register (villegewisé) designed by MoHFW and shared with state. Printing should be done based on competitive bidding and by following govt protocols as per FMR code B.15.3.2.1 for financial year 2014-15 “

उपकेन्द्र, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में एम०सी०टी०एस० फ़ैसिलिटी बेस्ड शत प्रतिशत रिपोर्टिंग हेतु इन्टीग्रेटेड आर०सी०एच० रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु रू० 250.00 प्रति रजिस्टर (प्रति 1000 की जनसंख्या हेतु दो वर्ष के लिए) प्रति राजस्व गांव की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। मानक के अनुसार एम०सी०टी०एस० कार्यक्रम के अन्तर्गत इस बजट का उपयोग स्वास्थ्य इकाइयों को रिपोर्टिंग हेतु आर०सी०एच० रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार व्यय किया जाना है।

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार है:-

No.	District	No. of revenue villages 96,112	@Rs.250.00 per register per revenue villages per 1000 population for 2 years for the financial year 2014-15
1	2	03	04=Col 03 x Rs 250.00
1	Agra	909	227250
2	Firozabad	806	201500
3	Mainpuri	821	205250
4	Mathura	880	220000
5	Aligarh	1210	302500
6	Etah	875	218750
7	Hathras	670	167500
8	Kashganj	718	179500
9	Allahabad	3064	766000

10	Fatehpur	1352	338000
11	Kaushambi	749	187250
12	Pratapgarh	1105	276250
13	Azamgarh	3800	950000
14	Ballia	2298	574500
15	Mau	1497	374250
16	Bareilly	1892	473000
17	Budaun	885	221250
18	Pilibhit	1334	333500
19	Shahjahanpur	2080	520000
20	Basti	3305	826250
21	Sant K Nagar	1576	394000
22	Siddharth N	2334	583500
23	Banda	625	156250
24	Chitrakoot	574	143500
25	Hamirpur	512	128000
26	Mahoba	210	52500
27	Bahraich	1370	342500
28	Balrampur	1005	251250
29	Gonda	1818	454500
30	Shrawasti	536	134000
31	Ambedkar N	1726	431500
32	Amethi*	999	249750
33	Barabanki	1002	250500
34	Faizabad	1213	303250
35	Sultanpur	1707	426750
36	Deoria	2055	513750
37	Gorakhpur	1233	308250
38	Kushinagar	1569	392250
39	Maharajganj	1184	296000
40	Jalaun	600	150000
41	Jhansi	818	204500
42	Lalitpur	754	188500
43	Farrukhabad	979	244750
44	Auraiya	841	210250
45	Etawah	692	173000
46	Kannauj	752	188000
47	Kanpur Dehat	1032	258000
48	Kanpur Nagar	1009	252250
49	Hardoi	1901	475250
50	Lakhimpur K	1793	448250
51	Lucknow	808	202000
52	Rae Bareli*	1533	383250
53	Sitapur	2321	580250
54	Unnav	1974	493500
55	Bagpat	315	78750
56	Bulandshahar	1236	309000

57	G B Nagar	385	96250
58	Ghaziabad	196	49000
59	Hapur	351	87750
60	Meerut	465	116250
61	Mirzapur	1748	437000
62	Sonbhadra	1372	343000
63	SRavidas N	1079	269750
64	Bijnor	2144	536000
65	JP Nagar	1124	281000
66	Moradabad	1164	291000
67	Rampur	1089	272250
68	Sambhal	1136	284000
69	Muzaffarnagar	713	178250
70	Saharanpur	1211	302750
71	Shamli	309	77250
72	Chandauli	1491	372750
73	Ghazipur	2665	666250
74	Jaunpur	3290	822500
75	Varanasi	1324	331000
Total		96112	24028000

*पत्रांक: एम.डी.-कैम्प/2014-15/1647 दिनांक: 04.12.2014 के क्रम में जनपद अमेठी के 03 विकास क्षेत्र-सलोन, छतोह एवं डीह को जनपद रायबरेली में सम्मिलित करते हुए धनराशि निर्गत की जा रही है।

उपरोक्तानुसार उपकेन्द्र, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में एम0सी0टी0एस0 फैसिलिटी बेस्ड शत प्रतिशत रिपोर्टिंग हेतु इन्टीग्रेटेड आरसीएच रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु धनराशि आवंटित किया जा रहा है।

कृपया उक्त मानकों के अनुसार एम0सी0टी0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/फार्मस रजि०/2014-15/51-~~आर~~रजि०/4226-2(10) तददिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश।
10. महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक